# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 18/563

1. महेन्द्र आत्मज उदा जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 18 मात्र रोड, के0 पाटन ।
2. सुरेन्द्र आत्मज उदा जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 18 मात्र रोड, के0 पाटन ।
3. सुनिता पुत्री उदा जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 18 मात्र रोड, के0 पाटन ।
4. तारा बाई पत्नी उदा जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 18 मात्र रोड, के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. छोटूलाल आत्मज मथरा लाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 04 झरनिया बस्ती के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. देवीलाल आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 05 के0 पाटन जिला बून्दी।
7. किशन लाल आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 05 के0 पाटन जिला बून्दी।
8. सियाराम आत्मज शिवजी लाल माता मूर्ति बाई जाति गुर्जर निवासी जखाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. मस्तराम आत्मज शिवजी लाल माता मूर्ति बाई जाति गुर्जर निवासी जखाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
10. लाड बाई पुत्री छीतर लाल पत्नी सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी बुढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. प्यारी बाई बेवा छीतर जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 05 खेडा मोहल्ला के0 पाटन जिला बून्दी ।

**बनाम**

1. रामलाल आत्मज भुवाना जाति गुर्जर निवासी रायथल तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. नन्दकिशोर आत्मज किशना जाति मीणा निवासी रायथल जिला बून्दी ।
3. छोटूलाल आत्मज किशना जाति मीणा निवासी रायथल जिला बून्दी ।
4. शांति बाई पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी रायथल जिला बून्दी ।
5. सुगना बाई पत्नी छोटूलाल जाति मीणा निवासी रायथल जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कामरान खॉ, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 18.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद विभाजन भूमि व अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रायथल तहसील व जिला बून्दी में कुल 06 किता की 19 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमियॉ मूल पुरूष सुरजा के खाते की हैं । सुरजा के तीन पुत्र मथरालाल, रामनाथ व भुवाना हुए । तीनों का उक्त भूमि में 1/3 – 1/3 हिस्सा प्राप्त होता है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि उक्त पैतृक सम्पत्ति में वादीगण अपने पिता व पति द्वारा छोडी गई कृषि भूमि में से 1/9 का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे । उक्त भूमि का हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर पृथक से अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का निर्णय पारित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/9 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे एवं वादीगण के हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों का हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी विभाजन किया जाकर पृथक से वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 से 5 ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को माना है इसके उपरान्त भी बंटवारे का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कथन करते हुए दावा वादीगण खारिज किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जबकि वादीगण ने यह तथ्य अंकित किया था कि भूमि पैतृक है और वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार विभाजन कर दिया जावे इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने ग्राम रायथल तहसील बून्दी में खाता संख्या 50 की कृषि भूमि कुल रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा बाबत् विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण और प्रतिवादीगण को माना है । इसके उपरान्त भी बंटवारे की डिक्री पारित नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए वाद खारिज किया है कि भूमि के पैतृक होने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है । प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब पेश

किया गया था और कथन किया था कि हिस्से अनुसार बंटवारा कर दिया जावे तो इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । आराजी संयुक्त खाते की है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है । वादग्रस्त आराजी का वादीगण को विभाजन कराने का अधिकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हिस्से अनुसार विभाजन की डिक्री पारित किया जाना चाहिए था ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें जवाबदावा इकबाली पेश किया गया है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श– 1 संलग्न है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068–71 प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श–3 संलग्न हैं ।

11. साक्ष्य में बयान महेन्द्र पुत्र उदा कराये गये हैं ।

12. दावे में विभाजन की प्रार्थना की गई है और पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 संलग्न है उसमें पक्षकारान सहखातेदार दर्ज हैं । यदि आराजी पैतृक नहीं हो और संयुक्त खाते में दर्ज हो तो भी वादी विभाजन कराने के अधिकारी हैं । यदि प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया है तो भी विभाजन का दावा विधि अनुसार डिक्री किया जा सकता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर पक्षकारों के मध्य विधि सम्मत रूप से विभाजन की डिक्री पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर पक्षकारों के मध्य नये सिरे से विधि सम्मत रूप से विभाजन की डिक्री पारित करें । पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा